राजस्व अपील संख्या : 34 / 2025

उनवान : वरजू देवी बनाम पकीया व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 34 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 144

अपीलाण्ट :–		रेस्पोडेण्ट :–
वरजू देवी पुत्री देवाराम जाति सीरवी (जणवा चौधरी) निवासी खीमेल तहसील बाली हाल देवतरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.	बनाम	1. पकीया पुत्र देवा जाति सीरवी निवासी खीमेल, हाल बोया तहसील बाली जिला पाली राज. 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा खीमेल तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 18.09.1992 जो तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांकः 06.02.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा खीमेल तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 18.09.1992 जो तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त करवान करवाने बाबत् पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा खीमेल में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1461 रकबा 1.8200 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि अपीलार्थी के पिता स्व. देवा पुत्र कोला सीरवी निवासी खीमेल की पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित रही हैं। उक्त अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी के स्व. पिता देवा पुत्र कोला सीरवी के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज रही हैं। अपीलार्थी वरजूदेवी एवं प्रत्यर्थी संख्या एक पकीया पुत्र देवा सगे भाई बहन हैं जो हिन्दु उत्तराधिकार एवं विरासत अधिनियम के अन्तर्गत स्व. देवा की सम्पति में बराबर के हिस्सेदार उत्तराधिकार है। अपीलार्थी की माता का स्वर्गवास भी पूर्व हो जाने से अपीलाधीन भूमि मालिकाना हक अधिकार अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या एक का बराबर–बराबर धारित हैं। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के स्व. पिता देवा पुत्र कोला का देहान्त 01.05.1992 को हो चुका हैं तथा अपीलार्थी की माता मगीबाई का स्वर्गवास भी स्व. देवाराम के देहान्त से पहले ही हो चुका था। यह कि अपीलार्थी के स्व. पिता देवाराम के फौत होने के बाद तत्कालीन राजस्व कार्मिक पटवारी, भूअ निरीक्षक द्वारा अपीलाधीन भूमि के मुताबिक फौतेदगी (विरासत) का नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 17.05.1992 को दाखिल एवं भू निरीक्षक की जांच पश्चात् तत्कालीन राजस्व अधिकारी तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 18.05.1992 को स्वीकृत किया गया। उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तत्कालीन राजस्व कार्मिकों एवं अधिकारी द्वारा विधि विरुद्ध हिन्दु उत्तराधिकारी एवं विरासत कानून के विपरित प्रत्यर्थी एक पकीया पुत्र देवा के नाम दाखिल स्वीकृत किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील निम्न आधारो पर पेश की जा रही है:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 34 / 2025

उनवान : बरजू देवी बनाम पकीया व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. यह हैं कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या एक पकीया दोनों ही सगे भाई बहन हैं एवं स्व. देवा के जायज वारिसान हैं जो हिन्दु उत्तराधिकार कानुन के मुताबिक उनके स्व. पिता देवा की अचल सम्पति अपीलाधीन कृषि भूमि के बराबर–बराबर के मालिक हिस्सेदार हैं। बावजुद अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 212 विधि विरुद्ध अकेले प्रत्यर्थी संख्या एक पकीया पुत्र देवा के नाम दाखिल स्वीकृत कर कानुनी भूल की हैं, जो नामान्तरकरण काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

2. यह है कि हिन्दु उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत स्व. देवा द्वारा धारित कृषि भूमि पर उनके जायज वारिसान संख्या एक जो सगे भाई एवं बहन हैं, जो दोनो का संयुक्त आधार हिस्सा हक हकूक होने के बावजुद प्रत्यर्थी संख्या दो तहसीलदार बाली द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक पकीया के पक्ष में एक मात्र वारिसान दर्शित कर स्वीकृत किये जाने में कानूनी त्रुटि बरती गई हैं। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दाखिल किये जाने से पूर्व राजस्व कार्मिक पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक तथा प्रत्यर्थी संख्या दो द्वारा कानूनन वारिसान होने बाबत कोई जांच नहीं की गई एवं बाला वाला प्रत्यर्थी संख्या एक पकीया को स्व. देवाराम का वारिसान पुत्र मानकर नामान्तरकरण दाखिल स्वीकृत किया गया हैं। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि अपीलार्थी जो स्व. देवाराम की पुत्री है जो वर्तमान में ग्राम देवतरा अपने ससुराल निवास कर रही हैं। अतः अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन बाला–बाला स्वीकृत नामान्तरकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलार्थी द्वारा एक डेढ माह पूर्व जाने एवं अपने आधा हिस्सा पर इस वर्ष की खरीफ फसल की बुवाई करने पर प्रत्यर्थी पकीया द्वारा रोका राकी किये जाने पर सबंधित पटवारि द्वारा जानकारी प्राप्त कर जमाबंदी एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रतियां प्राप्त करने पर बाला–बाला निष्पादित स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 212 की जानकारी अपीलार्थी को हुई एवं जानकारी होने के नियत अवधिकाल में यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं फिर भी ज्यादा विलम्ब के संबंध में देरीना अवधि को क्षम्य के लिये धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः देरीना अपील प्रस्तुत की अवधि को क्षम्य करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतः यह अपील विरुद्ध प्रत्यर्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 212 ग्राम खीमेल दिनांक 18.05.1992 निरस्त किया जाने एवं स्व. देवा के जायज वारिसान अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या एक के नाम अपीलाधीन भूमि बराबर–बराबर हिस्सा में दर्ज किये जाने की आज्ञा तहसीलदार बाली को प्रदान करावें।

रेस्पोंडेण्ट्स संख्या एक को प्रेषित रजिस्टर्ड नोटीस 'लेने से इनकार' की टिप्पणी के साथ प्राप्त जिसे तामीली मानते हुए तथा रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं देने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई।

जेर अपील आलोच्य नामान्तरकरण का मूल रिकॉर्ड पूर्व में ही तलब होकर शामिल पत्रावली है।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थिया स्व. देवाराम पुत्र कोला सीरवी निवासी खीमेल की जायन्दा पुत्री है जिनकी माता मगीबाई का देहान्त स्व. देवाराम की मृत्यु से भी पहले हो चुका था। यह कि स्व. देवाराम की मृत्यु पर उनके द्वारा धारित कृषि भूमि खसरा संख्या 1461 मौजा खीमेल में आलोच्य फौतेगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलार्थिया के नाम पृविष्टि नहीं की गई तथा स्व. देवाराम के पुत्र एवं अपीलार्थिया के सहोदर भाई अप्रार्थी पकीया अकेले के पक्ष में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 34 / 2025

उनवान : वरजू देवी बनाम पकीया व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 18.05.1992 को स्वीकृत किया गया, जो कि अवैध है। यह कि, पिता की सम्पति में पुत्र व पुत्री का समान हक होने के उपरान्त भी अपीलार्थिया के स्थान पर अकेले अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण वैधानिक प्रावधानो के विपरित होने के आधार पर खारिज फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए:–

1. RRD Feb 2002 65
2. 168 RRD Mar. 2008
3. 556 RRD Sept. 2004
4. 284 RRD June 2002

अप्रार्थी संख्या दो तहसीलदार की ओर से उपस्थित सरकारी पैरोकार ने विधिक प्रावधानों के आलोक में न्यायसंगत निर्णय लेने का निवेदन किया।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत नामान्तरकरण अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर सशपथ कथन किया कि अपीलाण्ट अनपढ़ एवं पर्दानशी महिला है जिसे दस्तावेजों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होने एवं अप्रार्थी द्वारा फसल बुआई में रोका टोकी करने पर उनके द्वारा पटवारी से सम्पर्क करने पर आलोच्य नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई एवं इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी होने पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के उपशमन हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का कोई प्रतिकार खण्डन नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित सशपथ कथनों को प्रमाणित मानने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से यही स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 212 की प्रमाणित प्रतिलिपि पर दिनांक 11.07.2025 अंकित है तथा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 07 08.2025 को प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत नामान्तरकरण अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

अपीलार्थिया ने अपील मीमों में यह सशपथ कथन किया है कि उनके पिता स्व. देवाराम पुत्र कोला सीरवी की मृत्यु पर उनकी पुश्तैनी कृषि आराजी खसरा संख्या 1461 मौजा खीमेल में आलोच्य फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय स्व. देवाराम के पुत्र तथा अपीलार्थिया के भाई अप्रार्थी संख्या एक अकेले के पक्ष में प्रविष्टि की गई, जबकि पुत्री होने के नाते प्रश्नगत आराजी में समान वैधानिक हक हकूक अन्तर्निहित था।

हस्तगत प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु अप्रार्थी संख्या एक एवं स्व. देवाराम के पुत्र बावजूद सम्यक सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील मीमों में अंकित सशपथ कथनों का प्रतिकार नहीं होने से यह तथ्य निर्विवादित हो जाता है कि अपीलार्थिया श्रीमती वरजू स्व. देवा पुत्र कोला सीरवी निवासी खीमेल की जायन्दा पुत्री थी तथा उक्त श्री देवाराम की मृत्यु पर दायर नामान्तरकरण संख्या 212 में उनके स्थान पर स्व. देवाराम के पुत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक को उनका एकमात्र वारिस बताते हुए उनके पक्ष में अवैधानिक प्रविष्टि की गई, जिसे तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 18.05.1992 को स्वीकृत किया गया।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 सपठित प्रथम अनुसूची मे उपबन्धित प्रावधानानुसार पिता की मृत्यु पर पुश्तैनी सम्पति में पुत्री को भी पुत्र के साथ प्रथम श्रेणी वारिसदार के रुप में समान वैधानिक हक हकूक प्राप्त है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी विचाराधीन प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होते है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 34 / 2025

उनवान : वरजू देवी बनाम पकीया व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अतः मौज़ा खीमेल की कृषि आराजी खसरा संख्या 1461 के सम्बन्ध में तहसीलदार बाली द्वारा पारित स्वीकृत नामान्तरकरण आज्ञा संख्या 212 दिनांक 18.05.1992 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाली को पुनर्प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि स्व. देवा पुत्र कोला निवासी खीमेल के वैध वारिसों की समुचित जाँच कर नये सर नामान्तरकरण कार्यवाही प्रभाव में लावें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली